

न्यायालय तहसीलदार राजगढ़ जिला अलवर (राज0)

प्रकरण सं0 29/2023

तारीख दायर :-23.08.2023

दिनांक निर्णय :-13.09.2023

पटवारी हल्का बीघोता तहसील राजगढ़ जिला अलवर राजस्थान।

बनाम

लदूर राम पुत्र रामधन जाति मीना निवासी डाबड़ी बास बीघोता तहसील राजगढ़ जिला अलवर।

अन्तर्गत धारा 91, राजस्थान

भू0 राजस्व अधिनियम-1956

आज पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली का सूक्ष्म वृत्तान्त इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का बीघोता द्वारा राजस्व ग्राम बीघोता के आराजी खसरा नम्बर 1659 रकबा 7.49 है0 किस्म गै0मु0राड़ा के भाग 0.50 है0 पर बाजरा काश्त कर एवं 0.75 हैक्ट0 पर बाड़ लगाकर कर अप्रार्थी लदूर राम पुत्र रामधन जाति मीना निवासी डाबड़ी बास बीघोता तहसील राजगढ़ द्वारा जिला अलवर द्वारा अतिक्रमण करने रिपोर्ट सम्वत 2080 में प्रस्तुत की गई, जिस पर विधिक उपाबन्धानुसार राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत अप्रार्थी को सुनवाई हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया। जिसकी तामिल विधिवत् होकर प्राप्त होने के बावजूद नियत सुनवाई तारीख को अप्रार्थी उपस्थित रहा। अप्रार्थी द्वारा नोटिस जवाब पेश किया गया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी द्वारा नोटिस जवाब में बुजुर्गान के समय से ही कब्जा होने का अंकन किया है। अप्रार्थी को समय दिये जाने के बावजूद भी साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया गया है। अप्रार्थी उक्त अतिक्रमण भूमि की किस्म गै0मु0राड़ा है जिसे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित श्रेणी के अन्तर्गत आती है पर अतिक्रमण कायम रखने की प्रतिक्रिया प्रतीत होती है। जिसे नियमन व आवंटन नहीं किया जा सकता है। अतिक्रमी काबिल बेदखली है।

अतः आदेश है कि:-

अतिक्रमी श्री लदूर राम पुत्र रामधन जाति मीना निवासी डाबड़ी बास बीघोता तहसील राजगढ़ जिला अलवर द्वारा वाके ग्राम बीघोता के आराजी खसरा नम्बर 1659 रकबा 7.49 है0 किस्म गै0मु0राड़ा के भाग 1.25 है0 भूमि से बेदखल किये जाने के आदेश पारित किया जाता है, तथा सरह लगान 1.50 की 50 गुणा में मु0 75.00/-रूपये पेनल्टी अधिरोपित की जाती है। अतिक्रमी को भौतिकरूप से मौके से बेदखली हेतु गिरदावर कानूनगों राजपुरबड़ा एवं पटवारी हल्का बीघोता को आदेश दिये जाते है कि कब्जेराज ली गई बाजरे की फसल काश्त को नीलामी की कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट कार्यालय में प्रेषित करावे एवं अतिक्रमी को भौतिकरूप से बेदखल कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे। तहसील राजस्व लेखाकार राजगढ़ को पेनल्टी राशि की कायमी व पटवारी को पालनार्थ लिखा जावे।

आज दिनांक 13.09.2023 को निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनवाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

रा. ले. सं. 4 वर्ष. 20.2.3. 24
के पृष्ठ संख्या... 32 पर सि. च. 75 / -
राशि कायम किये गये।

त. रा. लेखाकार

नायब तहसीलदार
राजगढ़ जिला अलवर